

**इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उरण अकादमी**  
**फुरसतगंज हवाई क्षेत्र**  
**रायबरेली (भारत)**

**आईजीआरयू के संबंध में अतिरिक्त जानकारी**

**1.1 इसके संगठन, कार्यो और कर्तव्यों का विवरण[धारा 4(1)(बी)(i)]**

**1.1.3 विजन, मिशन और प्रमुख उद्देश्य**

**विजन/मिशन**

- आईजीआरयू सीपीएल, एएमई, ईएलपी और ड्रोन प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र है। आईजीआरयू भारतीय नागरिक उड्डयन के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह सिविल पायलटों, विमान इंजीनियरों और ड्रोन ऑपरेटरों की दो पीढ़ियों का निर्माण करता है। साथ में, ये सभी भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं
- आईजीआरयू सीपीएल ग्राउंड ट्रेनिंग फैकल्टी, सीपीएल फ्लाईंग ट्रेनिंग फैकल्टी, एएमई ट्रेनिंग स्कूल, ईएलपी प्रशिक्षण और परीक्षण संकाय, ड्रोन टीआरजी सेट-अप और सिमुलेटर सहित पूरे एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ज्ञान का भंडार है।
- नियोजित, समर्पित और निगरानी किए गए प्रयासों के माध्यम से, आईजीयू का उद्देश्य प्रशिक्षण में उत्कृष्टता को समृद्ध करना, सभी क्षेत्रों में शिक्षण क्षमता बढ़ाना, सभी के बीच पेशेवर नेतृत्व विकसित करना और पेशेवर उत्कृष्टता को एक आदत के रूप में विकसित करना है; 26 अक्टूबर तक भारत में और 27 मार्च तक दुनिया में सर्वश्रेष्ठ एफटीओ बनने के लक्ष्य के साथ

**प्रमुख उद्देश्य**

समाज के उद्देश्य हैं:-

(क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना, स्थापना, प्रबंधन और अनुरक्षण करना ताकि सभी या किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके उल्लेख किया गया है।

(b) हित में भारत में वैमानिकी और नागर विमानन के विकास विज्ञान को बढ़ावा देना विदेशी नागरिकों सहित आम जनता की।

(ग) वाणिज्यिक पायलटों, उड़ान अनुदेशकों और नागर विमानन में शामिल या उसमें रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना और आयोजित करना, जिसमें ट्विन इंजन एंडोर्समेंट/इंस्ट्रूमेंट रेटिंग पर प्रशिक्षण शामिल है।

(घ) राज्य सरकार के पायलटों और वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस धारकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करना और आयोजित करना।

(ङ) नागर विमानन और वैमानिकी विज्ञान के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से सम्मेलनों, व्याख्यानों, सेमिनारों का आयोजन करना और अध्ययन समूहों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थापना करना।

(च) समाज द्वारा समय-समय पर निर्धारित नागर विमानन और वैमानिकी विज्ञान से संबंधित ऐसे अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और आयोजित करना।

(छ) उपर्युक्त उद्देश्यों में से किसी के लिए भारत में अन्य सोसाइटियों और संघों या फ्लाइट स्कूलों की सहायता और मार्गदर्शन करना।

(ज) ऐसी अन्य गतिविधियों को शुरू करना जो ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों में से किसी से संबंधित हैं।

#### **1.4 कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड[धारा 4(1)(बी)(iv)]**

कार्य आवंटन और कर्तव्यों के चार्टर के अनुसार

##### **1.4.4 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय-सीमा**

निर्धारित समय के भीतर

#### **1.6 प्राधिकरण द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियां[धारा 4(1)(बी) (vi)]**

##### **1.6.2 दस्तावेजों/श्रेणियों का संरक्षक**

प्रशासन विभाग

## **1.7 सार्वजनिक प्राधिकरण के हिस्से के रूप में गठित बोर्ड, परिषद, समितियां और अन्य निकाय [धारा 4(1)(बी)(viii)]**

### **1.7.3 तिथियां जिनसे गठित**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान सोसायटी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन दिनांक 15.02.1985 के माध्यम से आईजीआरयू की गवर्निंग काउंसिल का गठन किया गया था। इसलिए, आईजीआरयू के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन की प्रभावी तिथि को गवर्निंग काउंसिल के गठन की तारीख के रूप में माना जा सकता है।

### **1.7.4 अवधि/कार्यकाल**

आईजीआरयू की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं पदेन सदस्य; इसलिए, उनकी सदस्यता के लिए कोई निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है।

## **1.12 आरटीआई की समझ को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम (धारा 26)**

### **1.12.1 शैक्षिक कार्यक्रम**

कर्मचारियों और छात्रों को समय-समय पर संवेदनशील बनाया जाता है।

### **1.12.2 इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रोत्साहित करने के प्रयास**

कर्मचारियों और छात्रों को समय-समय पर जागरूक किया जाता है

### **1.12.3 सीपीआईओ/एपीआईओ का प्रशिक्षण**

सीपीआईओ के साथ आवधिक बैठकों में इस पहलू को शामिल किया जाता है

### **1.12.4 संबंधित लोक प्राधिकरणों द्वारा आरटीआई पर दिशा-निर्देशों को अपडेट और प्रकाशित करें**

आरटीआई अधिनियम और दिशानिर्देशों तक पहुंचने के लिए लिंक नीचे दिया गया है:

आरटीआई अधिनियम : <https://rti.dopt.gov.in/rtiact.html>

आरटीआई पर दिशानिर्देश : <https://dopt.gov.in/guidelines-on-rti>

2.1 प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी योजनाएं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट आदि शामिल हैं। [धारा 4(1)(बी)(xi)]

2.1.6 खरीद से संबंधित जानकारी- (ए) नोटिस/निविदा पूछताछ, और शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, (बी) प्राप्त की जा रही वस्तुओं/सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के नाम सहित प्रदान की गई बोलियों का विवरण, (सी) संपन्न कार्य अनुबंध - उपरोक्त के किसी भी संयोजन में-और, (डी) दर/दरें और कुल राशि जिस पर इस तरह की खरीद या कार्य अनुबंध निष्पादित किया जाना है।

निविदाओं के बारे में जानकारी निम्नलिखित लिंक के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है:

<https://igrua.gov.in/tenders>

2.2 विदेशी और घरेलू पर्यटन (F.No 1/8/2012- आईआर दिनांक 11.9.2012)

2.2.2 मंत्रालयों और सरकार और उससे ऊपर के संयुक्त सचिव के रैंक के अधिकारियों के साथ-साथ विभाग के प्रमुखों द्वारा विदेशी और घरेलू दौरे। - (ए) दौरे किए गए स्थान, (बी) यात्रा की अवधि, (सी) आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में सदस्यों की संख्या, (डी) यात्रा पर व्यय

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आईजीआरयूए के निदेशक द्वारा कोई विदेशी यात्रा नहीं की गई।

2.6 सीएजी और पीएसी प्रमाण पत्र [एफ नंबर 1/6/2011 - और दिनांक 15.4.2013]

2.6.1 नियंत्रक और लेखा परीक्षक और लोक लेखा समिति के पैरा और इनके बाद की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी गई है।

कैंग ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आईजीआरयूए में ऑडिट नहीं किया है।

3.1 [धारा 4(1)(बी)(vii)] [एफ नंबर 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013] की नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी व्यवस्था के लिए विवरण

3.1.2 क) नीति निर्माण/नीति कार्यान्वयन में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, (बी) आगंतुकों के लिए आवंटित दिन और समय, (सी) आरटीआई आवेदकों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले प्रकाशन प्रदान करने के लिए सूचना और सुविधा काउंटर (आईएफसी) का संपर्क विवरण

- इस प्रकार, आईजीआरयूए द्वारा कोई नीति निर्माण/कार्यान्वयन नहीं किया जाता है जिसके लिए सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता होती है
- आगंतुक सोमवार से शनिवार के बीच किसी भी कार्य दिवस में 0900 बजे से 1630 बजे के दौरान परिसर का दौरा कर सकते हैं।
- स्टूडेंट काउंसलर के कार्यालय में जाकर या एक्सटेंशन नंबर 417 पर कॉल के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है

### **5.1 ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है [F.No. 1/2/2016-आईआर दिनांक 17.8.2016, F.No. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]**

#### **5.1.2 स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तीसरे पक्ष के ऑडिट का विवरण - (ए) किए गए ऑडिट की तारीखें, (बी) किए गए ऑडिट की रिपोर्ट**

आईजीआरयूए के स्वैच्छिक प्रकटीकरण का थर्ड-पार्टी ऑडिट 16.07.2025 से 31.07.2025 के दौरान किया गया था। ऑडिट की गई स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट को निम्नलिखित लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है: [पारदर्शिता ऑडिट रिपोर्ट 2024-25.pdf](#)

#### **5.1.3 संयुक्त सचिव/अपर विभागाध्यक्ष के पद से नीचे के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति - (क) नियुक्ति की तिथि, (ख) अधिकारियों का नाम और पदनाम**

*Name, designation and other particulars of Public Information Officers  
Under Section 4 (1) b (xvi)*

| S.N. | NAME & DESIGNATION                                                                                 | ADDRESS & TELEPHONE NUMBER                                                                                                                                                                             | WORKING HOURS                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1    | <b>Appellate Authority:</b><br><br>Air Cmde Vipul Singh AVSM VM (Retd)<br>Director, IGRUA          | Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi,<br>Fursatganj Airfield, Amethi – 229302 U.P.<br><br>Tel: (0535) – 2978000,2978001,2978002<br>Extn: 401, Contact of PPS – 011-24610372                            | 0900 – 1630 Hrs on<br>working days |
| 2    | <b>Central Public Information Officer :</b><br><br>Sh. Ravi Singh,<br>Quality Manager (AME School) | Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi,<br>Fursatganj Airfield, Amethi – 229302 U.P.<br><br>Tel: (0535) – 2978000,2978001,2978002<br>Extn: 461<br>Email:<br>incharge[hyphen]admn[at]igrua[dot]gov[dot]in | 0900 – 1630 Hrs on<br>working days |
| 3    | <b>Transparency Officer:</b><br><br>Sh. Sanjay Bisaria,<br>Manager HR                              | Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi,<br>Fursatganj Airfield, Amethi – 229302 U.P.<br><br>Tel: (0535) – 2978000,2978001,2978002<br>Extn: 453 (O)<br>Email:<br>ao[hyphen]admn[at]igrua[dot]gov[dot]in   | 0900 – 1630 Hrs on<br>working days |

नियुक्ति की तिथि: 15 मई 2025

**5.1.4 स्वतः प्रकटीकरण पर सलाह के लिए प्रमुख हितधारकों की परामर्श समिति - (ए) तिथियां जिनसे गठित किया गया है, (बी) अधिकारियों का नाम और पदनाम**

आवश्यकता पड़ने पर प्रमुख हितधारकों पर परामर्श समिति का गठन किया जाएगा।

**6.2 भारत सरकार की वेबसाइटों (जीआईजीडब्ल्यू) के लिए दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है (फरवरी, 2009 में जारी किया गया है और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कामक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यालय प्रक्रिया के केन्द्रीय सचिवालय मैनुअल (सीएसएमओपी) में शामिल किया गया है। भारत का)**

**6.2.1 क्या सुरक्षा ऑडिट प्रमाणन प्राप्त हुआ है और इसकी वैधता**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आईजीआरयूए) के पास अपनी वेबसाइट का सुरक्षा लेखा परीक्षा प्रमाणन है और इसकी वर्तमान वैधता

सितम्बर 2, 2026

**6.2.2 क्या वेबसाइट वेबसाइट पर प्रमाणपत्र दिखाती है?**

इग्नोआ वेबसाइट के वेबसाइट सुरक्षा ऑडिट प्रमाणन को निम्नलिखित लिंक का उपयोग करके सत्यापित किया जा सकता है:

[वेबसाइट सुरक्षा ऑडिट Certificate.pdf](#)